न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 96/2020
CCMS NO. : 2020/00155

–: प्रार्थीगण :–

1. मांगू पुत्र रावत
2. लालू पुत्र रावत
3. डगलाराम पुत्र बींजाराम
4. चन्द्राराम पुत्र बींजाराम
5. परमादेवी पुत्री बींजाराम
6. सुखड़ी पत्नी बींजाराम
7. सुरेश पुत्र चौथा
8. सुनिल चौथा
9. सुमन पुत्री चौथा
10. विद्यादेवी पत्नी बगदाराम
11. शिवकरण पुत्र बगदाराम
12. रूपाराम पुत्र गोपू

जातियान– कुमावत, निवासीगण– बेरा जाकेटिया खिनावड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज०।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

घेवरराम पुत्र लिखमाराम फौत के कायम मुकाम

1. पप्पुराम पुत्र घेवरराम
2. पेमाराम पुत्र घेवरराम

ओगड़राम पुत्र लिखमाराम फौत के का०मु०

3. कमली बेवा ओगड़राम
4. दुर्गाराम पुत्र ओगड़राम

ओमप्रकाश पुत्र ओगड़राम के का०मु०

5. सुनील पुत्र ओमप्रकाश
6. भोमाराम पुत्र ओमप्रकाश
7. रमेश पुत्र ओगड़राम

जातियान– कुमावत, निवासीगण– बेरा जाकेटिया खिनावड़ी, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज०।

8. तहसीलदार जैतारण, तहसील कार्यालय– जैतारण, जिला– ब्यावर (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 07/08/2020

उपस्थित:– 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, श्री भंवरलाल कुमावत, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनाँक:– 28/03/2024**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि कृषि भूमि सरहद मौजा खिनावड़ी, पटवार हल्का फूलमाल, तहसील जैतारण में स्थित है। जिसके खसरा नम्बर का विवरण निम्न प्रकार से है:– खसरा नम्बर 43 रकबा 4–02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 46 रकबा 9–11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 57/1 रकबा 0–13 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 58 रकबा 11–07 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 64 रकबा [illegible] बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 65 रकबा 5–14 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा 6 कुल रकबा 36–04 बीघा, उक्त आराजी कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है और शांतिपूर्वक इसका उपयोग उपभोग करते आ रहे है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 तक एवं नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति एवं सेटलमेन्ट की नक्शा सीट की फोटूस्टेट प्रति इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण कि उक्त खसरा नम्बरान् कि कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

भू के चारो तरफ एवं अप्रार्थीगण कि कृषि भूमि के बीच में माठ बनी हुई है और सके चिपते ही उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण कि कृषि भूमि स्थित है। जिसके खसरा नम्बर 0 रकबा 04-14 बीघा भूमि स्थित है। जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। कल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 तक की प्रमाणित प्रति इस प्रार्थनापत्र के ाथ संलग्न है। खसरा नम्बर 60 रकबा 4-14 बीघा कि जमीन पूर्वजों के समय अप्रार्थीगण को पारिवारिक बंटवाडा में दी थी जो मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है और उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 11-07 बिघा भूमि के चिपते ही अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 60 रकबा 4-14 बीघा आयी हुई है जो अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 11-07 बीघा की भूमि में करीबन 3 बीघा कृषि भूमि पर गैरकानूनी रूप से अवैध अतिक्रमण कर दबा रखी है जो नजरी नक्शा में मार्क लाल रंग से दर्शायी हुई है। प्रार्थीगण द्वारा बार बार कहने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण अवैध अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा नहीं हटा रहे हैं न ही पेमाईश करवा रहे है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे कारत कि कृषि भूमि अप्रार्थीगण लाठी के बल पर हड़प करने कि नियत से गैरकानूनी रूप से दबा रखी है तो प्रार्थी संख्या बारह रूपाराम पुत्र गोपू कुमावत ने तहसीलदार जैतारण के समक्ष प्रार्थीगण अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 11-07 बीघा भूमि की पैमाईश करवाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अप्रार्थी संख्या आठ श्रीमान् तहसीलदार जैतारण ने दिनांक 20.11.2018 को पैमाईश करने का आदेश दिया जो आदेश क्रमांक/भू.अ./सी.ज्ञा./2019/5781 दिनांक 20.11.19 की पालना में ग्राम खिनावडी के खसरा नम्बर 57 रकबा 3-03 बीघा, 57/1 रकबा 0-13 बीघा व 58 रकबा 11-07 बीघा कृषि भूमि का सीमांकन करवाने रूबरू मौत बीरान व आवेदक एवं सहखातेदारान मौके पर दिनांक 17.03.2020 को पहुँचे ओर मौके पर पहुँचकर जिला कलेक्टर (भू.अ.) पाली द्वारा जारी प्रमाणित असल नक्शा के आधार पर सीमांकन करने हेतू अप्रार्थीगण को मौके पर बुलाकर नाप चोप करने हेतू कहा तो अप्रार्थीगण ने असहमति व्यक्त की मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण उक्त आदेश की पालना में मौजा खिनावडी में स्थित खसरा नम्बर 58 का नाप चौप कर सीमांकन नहीं किया गया। नकल प्रमाणित प्रति फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.03.20 की प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है, जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जायें। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 17.03.2020 को अप्रार्थीगण को मौके पर कहा कि खसरा नम्बर 58 रकबा 11-07 बीघा भूमि पर करीबन 3 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण हैं जो नाप करवा कर आपका अतिक्रमण हटा तो तो अप्रार्थीगण ने सीमांकन करवाने एवं नाप चौप करवाने एवं पत्थर गड्डी करवाने से एवं अवैध अतिक्रमण हटाने से स्पष्ट मना कर दिया ओर गाली ग्लोच करने लग गये एवं लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गये ओर अप्रार्थीगण ने मिलकर प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि सीमांकन का आदेश हम नहीं मानते ओर किसी भी सूरत में अवैध अतिक्रमण नहीं हटायेंगे आप जो हो कार्यवाही कर लेना तो प्रार्थीगण हल्का पटवारी के पास गये ओर जमाबंदी की प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस की प्रमाणित दिनांक 15.06.2020 को हल्का पटवारी से प्राप्त की ओर फर्द मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दिनांक 16.06.2020 को प्राप्त की जो इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं जो प्रार्थना पत्र का एक भाग माना जाए अप्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 58

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

ग 11-07 बीघा भूमि का नाप चौप एवं सीमांकन करने से मना करने के कारण
ं आराजी कि कृषि भूमि को जरिये पुलिस इमदाद से पेमाईश कर पत्थर गड्डी करवा
हेतू अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र श्रीमान्जी की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा
प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा
1-07 बीघा भूमि पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 17.03.2020 को मौके पर
प्रार्थीगण द्वारा नाप चौप एवं पेमाईश नहीं करने दी प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण द्वारा किया
या करीबन 3 बीघा भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया जो नजरी नक्शा में लाल
ग से दर्शाया हैं। इस अवैध अतिक्रमण को हटाने का कहा तो अप्रार्थीगण लडाई झगडा
र उतारू हुये एवं लाठी लकड़ी से मरने मारने के लिये तैयार होकर मौके पर आ गये
ोर गाली-ग्लोच करने लग गये ओर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी
क अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के हिस्से कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि भूमि पर अवैध
तिक्रमण कर रखा हैं जो नहीं हटायेगे न ही पेमाईश करने देगें। प्रार्थीगण को अपने
स्से तक कि कृषि भूमि पर माठ नहीं लगाने दी ओर न ही पत्थर गड्डी एवं तारबंदी
रने दी जो कानूनी रूप से गलत हैं। प्रार्थीगण के हिस्से कि खातेदारी एवं कब्जे काश्त
कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण करने का कोई कानूनी
क व अधिकार नहीं हैं प्रार्थीगण के हिस्से कि कृषि भूमि अप्रार्थीगण में दबा रखी होने
ो अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा
1-07 बीघा की भूमि का पैमाईश करने से मना कर दिया ओर अवैध अतिक्रमण कर
खा है जो मौके पर पैमाईश कर पत्थरगढी जरिये पुलिस इमदाद से करवाने हेतू प्रार्थना
त्र पेश किया जा रहा है। अप्रार्थीगण लगातार प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त
की कृषि भूमि हडपने कि नियत से हर वर्ष प्रार्थीगण तारबंदी व पत्थर गड्डी करते हैं तो
अप्रार्थीगण तोड देते हैं व नाजायज रूप से गैरकानूनी रूप से अवैध अतिक्रमण कर रखा
ई ओर मौके पर अप्रार्थीगण मिलकर प्रार्थीगण को गाली ग्लोच करते हैं और जान से
मारने कि धमकिया देते हैं और ऐलानिया कहते हैं कि हम प्रार्थीगण कि खातेदारी एवं
कब्जे काश्त कि कृषि भूमि नहीं छोडेगे जो हो तुम्हारी कार्यवाही कर लेना। प्रार्थीगण कि
तेदारी एवं कब्जे काश्त कि कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण ने नाजायज तौर पर जबरदस्ती
लाठी के बल पर गैरकानूनी रूप से अवैध अतिक्रमण कर कृषि भूमि हडप कर ली तो
प्रार्थीगण अपने कानूनी जायज हक हकूको से वंचित रह जायेगें। जिसकी क्षति पूर्ति किसी
भी सूरत में सम्भव नहीं होगी इसलिये अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण ऐसा हरगीज नहीं करने
देगें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात के पेश कर निवेदन हैं। कि खसरा
नम्बर 58 रकबा 11-07 बीघा कृषि भूमि का नाप व पेमाईश (सीमांकन) जरिये पुलिस
इमदाद से करवाकर पत्थर गड्डी एवं मुडागड्डी करवाई जाना कानूनी रूप से आवश्यक हैं
इसलिये उक्त खसरा नम्बर की कृषि भूमि का नाप व सीमांकन जरिये पुलिस इमदाद से
करवाने का आदेश फरमायें। ताकि मौके पर शांति व्यवस्था बनी रहे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की
ओर से वकालतनामा व जवाब प्रार्थनपत्र पेश किया गया जो सामिल मिसल है।
अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थनपत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा
नम्बरान की भूमि मौजा खिनावड़ी स्थित होने के कथन सही होने से स्वीकार है, लेकिन
इस मद में वर्णित खसरा नम्बर 58 रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा व खसरा नम्बर 65
रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा की भूमि के वक्त सेटलमेन्ट के समय से काबिज खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

प्रकार लिखमाराम वल्द हेमाराम जी कुम्हार निवासी खिनावड़ी वाले थे। उक्त
माराम जी जवाब देहन्दा के पिता/दादा एवं पूर्वज है। इस प्रकार से उक्त दोनों ही
रा नम्बरान की भूमि पर लिखमाराम जी के जीवनकाल में उनका ही कब्जा काश्त व
अधिकार था तथा लिखमाराम जी अपने इसी खसरा नम्बर 58 की भूमि पर सुधार
प्रयोजनार्थ अपने रहवासी मकान व बाड़े भी बनाये थे। जिस पर अरसे दराज
यानि वर्षो से पूर्व से जवाब देहन्दागण स्वयं एवं उनके पिता एवं पूर्वज आवास
वास करते आये है तथा जवाब देहन्दागण का अपने आवास रहवास में आने जाने का
स्ता भी इसी खसरा नम्बर 58 की भूमि में से होकर निकलता है। जवाब देहन्दागण
आवास रहवास एवं रास्ते के फोटोग्राफस् इस जवाब प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। इस
कार से इस प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि खसरा नम्बर 58 व 65 की भूमि से
र्थीगण पूर्णतया आउट ऑफ पजेशन है एवं प्रार्थीगण ने मौके पर कब्जा प्राप्ति हेतु आज
न तक कोई कार्यवाही नही की है। इस प्रकार से कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण की
ोर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। इस कार्यवाही में वर्णित खसरा नम्बर
8 व 65 की भूमि पर सेटलमेन्ट के समय से ही जवाब देहन्दागण के पिता/दादा एवं
र्वज लिखमाराम वल्द हेमाजी का कब्जा काश्त व हक अधिकार था व इसी माफिक
ाजस्व रेकर्ड में भी भूमि लिखमाराम जी के नाम से दर्ज हुई थी। लिखमाराम जी
ामीण परिवेश के अनपढ़ व्यक्ति थे। इस वजह से प्रार्थीगण स्वयं व उसके पिता एवं
र्वज रावत वगैराह ने लिखमाराम जी के साथ छल कपट व धोखा करते हुये बिना
ौका की जांच किये ही नामान्तरकरण संख्या 284 दिनांक 23.05.1989 के जरिये
क्त भूमि राजस्व रेकर्ड में रावतराम वगैराह के नाम से गलत दर्ज कर दी जिसकी
ुरूस्ती बाबत एवं माफिक मौका स्थिति अनुसार कब्जे काश्त एवं हक अधिकारो
की घोषणा हेतु जवाब देहन्दागण द्वारा पृथक से कार्यवाही की जायेगी। इस प्रकार से
स्वीकृत सुदा तथ्य है कि प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज रावतराम वगैराह ने केवल
नामान्तकरण संख्या 284 दिनांक 23.05.1989 के जरिये उक्त भूमि रावतराम वगैराह
के नाम से गलत दर्ज की है। वास्तविकता में खसरा नम्बर 58 व 65 का मौके पर
तराम वगैराह ने कभी भी कब्जा प्राप्त नही किया था बल्कि इस भूमि से रावतराम
वगैराह आउट ऑफ पजेशन रहे है। व मौके पर जवाब देहन्दागण के आवास रहवास
मकान बाड़े इत्यादि बने हुये है व इसी खसरा नम्बर 58 में ही जवाब देहन्दागण के
पूर्वज लिखमाराम जी द्वारा वर्षो पूर्व कुआ खुदवाया था। जिस पर वर्षो पूर्व से विद्युत
कनेक्शन भी लिया हुआ है। कालान्तर में जवाब देहन्दागण ने इस खसरा नम्बर 58 की
भूमि पर अपना ट्यूबवेल खुदवाया हुआ है जो वर्तमान में भ चालू हालत में है। इस
प्रकार से जवाब देहन्दागण का ही खसरा नम्बर 58 व 65 की भूमि पर कब्जा व हक
अधिकार होने से जवाब देहन्दागण ऐतवार पजेशन के सिद्धान्तानुसार ही इस भूमि के
काबिज खातेदार व हकदार हो गये है। इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल
खारिज के होने से खारिज किया जाता है। मौजा खिनावड़ी स्थित खसरा नम्बर 61 की
भूमि भी जवाब देहन्दागण व उनके पूर्वज लिखमाराम जी के कब्जे काश्त की रही है।
जिन्होने अपने उक्त भूमि काश्त हेतु प्रार्थीगण व उनके पूर्वजों को दी हुई थी। जिस पर
प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज ही काश्त करते आये है। लेकिन अब प्रार्थीगण उस खसरा
नम्बर 61 की भूमि को छोड़ते हुये खसरा नम्बर 58 व 65 की भूमि जो गलत तरीके
से प्रार्थीगण व उनके पूर्वजो के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो रखी है। इसी गलत

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी ९५
एवं भ-अभिलेख अधिकारी

के आधार पर जवाब देहन्दागण को तंग व परेशान करने की मंशा से प्रार्थीगण निराधार कार्यवाही पेश की है। जिसमें प्रार्थीगण ने जवाब देहन्दागण के आवास . बाड़े, रास्ते आदि के बाबत वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुये यह निराधार ही पेश की है जो कतई गलत होकर काबिज खारिज के होने से खारिज किया इस प्रकार से प्रार्थीगण ने अन्य खसरा नम्बरान की भूमि के साथ खसरा नम्बर 65 की भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने से सम्बन्धित झूठे तथ्यों का समावेश है। एवं प्रार्थीगण साफ हाथो से अदालत श्रीमान के समक्ष नही आये है। इसलिये ण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जायें। तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद 02 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस ही में वर्णित खसरा नम्बर 58 व 65 की भूमि पर प्रार्थीगण को कोई हक व ार प्राप्त नही है। न ही खसरा नम्बर 58 की भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व हक ार है। इस प्रकार से बिना कब्जे व हक अधिकार के प्रार्थीगण भूमि का नाप चौप ो के कतई अधिकारी नही है। खसरा नम्बर 60 से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध : न ही इस बाबत कोई विवाद है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में कथन व लगाये गये आरोप पूर्णतय झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जैसा की इस जवाब के पद संख्या 01 लेखित किया जा चुका है कि खसरा नम्बर 58 की भूमि प सेटलमेन्ट के समय जवाब देहन्दागण का कब्जा काश्त व हक अधिकार था। एवं वर्षो पूर्व से इस नम्बर 58 की भूमि पर जवाब देहन्दागण के पिता व पूर्वज लिखमाराम वल्द के आवास रहवास, मकान एवं बाड़े, कृषि कुआ, ट्यूबवेल इत्यादि बने हुये है आवागमन का रास्ता भी है। उक्त खसरा नम्बर 58 की भूमि कुटरचित व फर्जी तकरण संख्या 284 दिनांक 23.05.1989 के जरिये प्रार्थीगण के पूर्वज रावतराम के नाम से दर्ज हो गई थी। लेकिन मौके पर हमेशा से ही जवाब देहन्दागण व पूर्वजो का ही कब्जा रहा है। तथा जवाब देहन्दागण इस भूमि से कभी भी ज नही हुये है। प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो ने हल्का पटवारी से मिलकर फर्जी जात के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसके आधार पर प्रार्थीगण स भूमि पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है प्रार्थीगण हमेशा से इस नम्बर 58 की भूमि से आउट अ०फ पजेशन रहे है तथा जवाब देहन्दागण ऐडवर्स ा के सिद्धान्तानुसार भी इस भूमि के मालिक हो गये है। खसरा नम्बर 58 में देहन्दागण के मकान व बाड़ो में जवाब देहन्दागण के परिवार में समय समय पर न होने वाले सामाजिक उत्सवों के फोटोग्राफ भी इस जवाब के साथ पेश है । भी साबित है कि मौके पर खसरा नम्बर 58 की भूमि पर प्रार्थीगण का कभी ोई कब्जा काश्त व अधिकार नही रहा है। इस ... से कब्जे के अभाव में ण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के ... प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर की भूमि पर जवाब देहन्दागण का कब्जा ... बताना झूठा उल्लेखित है। बल्कि जवाब देहन्दागण का इस खसरा नम्बर 58 की भूमि पर मालिक व की हैसियत से कब्जा काश्त एवं हक अधिकार होकर इस भूमि पर आवास रहवास बने हुये है। इस भूमि के बाबत प्रार्थीगण ने बिना किन्ही आधारो के एवं बिना ही तहसीलदार जैतारण के समक्ष कोई आवेदन पत्र पेश किया है तो उससे भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी

गण को इस खसरा नम्बर 58 की भूमि पर कोई मालिकाना हक अधिकार प्राप्त ी होता है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। खसरा बर 58 की भूमि पर सेटलमेन्ट के समय से ही जवाब देहन्दागण का कब्जा काश्त व क अधिकार था। एवं वर्षो पूर्व से इस खसरा नम्बर 58 की भूमि पर जवाब देहन्दागण पिता व पूर्वज लिखमाराम वल्द हेमाजी के आवास रहवास, मकान एवं बाड़े कृषि आ ट्यूबवेल इत्यादि बने हुये है तो प्रार्थीगण द्वारा इस पद में खसरा नम्बर 58 की मि के 03 बीघा रकबा पर जवाब देहन्दागण का अतिक्रमण होने बाबत कथन कतई लत है। साथ ही दिनांक 17.03.2020 को पक्षकारों के बीच बोलचाल व विवाद होने सम्बन्धित कथन भी कतई गलत है। बल्कि खसरा नम्बर 58 की भूमि से होते हुये ौके पर अरसे दराज से जवाब देहन्दागण तथा आवागमन का रास्ता भी है। उक्त खसरा म्बर 58 की भूमि कुटरचित व फर्जी नामान्तकरण संख्या 284 दिनांक 23.05. 989 के जरिये प्रार्थीगण के पूर्वज रावतराम वगैराह के नाम से दर्ज हो गई थी लेकिन ौके पर हमेशा से ही जवाब देहन्दागण व उनके पूर्वजो का ही कब्जा रहा है तथा जवाब ेहन्दागण इस भूमि से कभी भी बेकाबिज नहीं हुये है प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजो ने ल्का पटवारी से मिलकर फर्जी दस्तावेजात के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ी। जिसके आधार पर प्रार्थीगण को इस भूमि पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते प्रार्थीगण हमेशा से इस खसरा नम्बर 58 की भूमि से आउट अ०फ पजेशन रहे है था जवाब देहन्दागण ऐडवर्स पजेशन के सिद्धान्तानुसार भी इस भूमि के मालिक हो गये । इस पद में प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 58 की भूमि पर जवाब देहन्दागण का बतौर अतिक्रमी के कब्जा होना झूठा उल्लेखित किया है बल्कि जवाब देहन्दागण का इस खसरा नम्बर 58 की भूमि पर मालिक व भौक्ता की हैसियत से कब्जा काश्त एवं हक अधिकार होकर इस भूमि पर आवास रहवास इत्यादि बने हुये है। इस भूमि के बाबत प्रार्थीगण ने बिना किन्ही आधारो के एवं बिना कब्जे के ही तहसीलदार जैतारण के समक्ष कोई आवेदन पत्र पेश किया है तो उससे भी प्रार्थीगण को इस खसरा नम्बर 58 की भूमि पर कोई मालिकाना हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिये जरिये पुलिस इमदाद के प्रार्थीगण बिना कब्जे के पैमाइश करवाने के कई अधिकारी नहीं है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या में वर्णित गलत बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जैसा की इस जवाब के पद संख्या 101 में उल्लेखित किया जा चुका है कि खसरा नम्बर 58 की भूमि पर सेटलमेन्ट के समय से ही जयल देहन्दागण का कब्जा कर वह अधिकार था। एवं वर्षो पूर्व से इस खसरा नम्बर 58 की भूमि पर जवाब देहन्दागण के पिता व पूर्वज लिखमाराम वल्द हेमाजी के आवास रहवास, मकान एवं बाहे कृषि कुआ ट्यूबवेल इत्यादि बने हुये है तो प्रार्थीगण द्वारा इस पद में खसरा नम्बर 58 की भूमि के 03 बीघा रकबा पर जवाब देहन्दागण का अतिक्रमण होने बाबत कथन कतई गलत है। स... दिनांक 17.03.2020 को पक्षकारों के बीच बोलचाल या विवाद होने से सम्बन्धित ... भी कतई गलत है। बल्कि खसरा नम्बर 58 की भूमि से होते हुये ... से जवाब देहन्दागण तथा आवागमन का रास्ता भी है। इस प्रकार से प्रार्थीगण व उनके पूर्वजो ने हल्का पटवारी से मिलकर फर्जी दस्तावेजात के आधार पर भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली। जिसके आधार पर प्रार्थीगण को इस भूमि पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थीगण हमेशा से इस खसरा नम्बर 58 की भूमि से आऊट ऑफ पजेशन रहे है तथा जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

दागण ऐडवर्स पजेशन के सिद्धान्तानुसार भी इस भूमि के मालिक हो गये है। इस में प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 58 की भूमि पर जवाब देहन्दारण का बतौर अतिक्रमी कब्जा होना झूठा उल्लेखित किया है। बल्कि जवाब देहन्दागण का इस खसरा नम्बर 8 की भूमि पर मालिक व भोक्ता की हैसियत से कब्जा काश्त एवं हक अधिकार कर इस भूमि पर आवास रहवास इत्यादि बने हुये है। इस भूमि के बाबत प्रार्थीगण ने ना किन्ही आधारों के एवं बिना कब्जे के ही तहसीलदार जैतारण के समक्ष कोई वेदन पत्र पेश किया है तो उससे भी प्रार्थीगण को इस खसरा नम्बर 58 की भूमि र कोई मालिकाना हक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिये जरिये पुलिस इमदाद के ी प्रार्थीगण बिना कब्जे के पैमाईश करवाने के कतई अधिकारी नही है। उक्त तथ्यों के लावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में र्णित कथन कतई गलत व झूठे होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 58 के बाबत स्तृत जानकारी ऊपर दी जा चुकी है जिनकी पुनरावर्ती की कोई आवश्यकता नही है। क्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद ंख्या 07 में वर्णित कथन कतई गलत व झूठे होने से अस्वीकार है। खसरा नम्बर 58 े बाबत विस्तृत जानकारी उपर दी जा चुकी है जिनकी पुनरावर्ती की कोई आवश्यकता ही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। अतः जवाब ार्थना पत्र पेश कर निवेदन हे कि प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र कतई झूठा व निराधार होने से काबिल खारिज के है जो खारिज किया जावें।

हमनें अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली मय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा खिनावड़ी, पटवार हल्का फूलमाल में खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 43 रकबा 4-02 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 46 रकबा 9-11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 57/1 रकबा 0-13 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 58 रकबा 11-07 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 64 रकबा 4-17 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 65 रकबा 5-14 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल खसरा 6 कुल रकबा 36-04 बीघा आई हुई है। उक्त खसरा नम्बर आराजी के पास ही अप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 60 रकबा 4-14 बीघा कब्जे काश्त की कृषि भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकर्ड में अलग से इन्द्राज है एवं राजस्व रेकर्ड के नक्शे में भी अलग से तरमीम है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 58 रकबा 11-07 बीघा राजस्व रेकर्ड के नक्शे में अलग से तरमीम है तथा मौके पर अलग बंटी हुई है, लेकिन अप्रार्थीगण बिना किसी हक एवं अधिकार के प्रार्थीगण की भूमि में दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया तथा सीमाज्ञान व मांठ को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है। अप्रार्थीगण सीमाज्ञान करवाने के लिए भी तैयार नहीं है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बरान् 58 का सीमाज्ञान करवाया जाकर नाप चोप किया जाकर पत्थरगढ़ी करवायी जाए तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने के कारण आदेश की पालना जरि पुलिस इमदाद करवाए जाने की इस्तदुआ की है।

2. अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों का खण्डन करते हुये कथन किया है कि जवाब देहन्दागण का खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

58 पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है तथा खसरा नम्बर 58 व 65 क्त सेटलमेन्ट से काबिज खातेदार काश्तकार लिखमाराम वल्द हेमाराम जी कुम्हार सी खिनावड़ी वाले थे, जो कि जवाबदेहन्दागण के पिता/दादा एवं पूर्वज थे तथा जवाब गण का इस खसरा नम्बर 58 की भूमि पर मालिक व भौक्ता की हैसियत से का काश्त एवं हक अधिकार होकर इस भूमि पर आवास एवं रहवास इत्यादि बने हुए प्रार्थीगण एवं उनके पूर्वजों द्वारा उक्त आराजी का नामान्तरण संख्या 284 दिनांक .05.1989 गलत एवं छल कपट से स्वीकृत करवाया गया जो कि गलत एवं विधि रूद्ध है। अतः प्रार्थीगण बिना कब्जे के पैमाईश करवाने के कतई अधिकारी नहीं है। : उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज के होने से रिज फरमाएं।

3. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख यथा जमाबंदी एवं भू-नक्शा के अनुसार ग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 57, 57/1 व 58 के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है ा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा में भी सीमाकंन की कार्यवाही करवाई गई तथा मौके पर हल्का पटवारी की माकंन की कार्यवाही दौरान उक्त खसरान् के पड़ोसी खातेदारो द्वारा नाप चौक हेतु समहति व्यक्त करने के कारण वादग्रस्त आराजी का सीमाकंन नहीं हो पाया।

4. पत्रावली एवं संलग्न राजस्व भू-अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि दग्रस्त आराजी खसरा संख्या 58 रकबा 11-07 बीघा प्रार्थीगण की खातेदारी एवं ब्जे काश्त की कृषि भूमि है, जो अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 60 रकबा 4-14 बीघा के साथ सीमा बनाती है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 58 के ीमाज्ञान के लिये प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में कार्यवाही की गई लेकिन पड़ोसी खातेदार एवं काश्तकारों की दखलदांजी एवं मौके पर वाद विवाद की परिस्थिति होने के कारण ीमांकन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी, अतः उक्त खसरा नम्बर 58 रकबा 11-07 ीघा की सीमा को लेकर आज दिनांक तक भी विवाद विद्यमान है।

5. चूंकि उपर्युक्त खसरान् की वादग्रस्त आराजी एवं अप्रार्थीगण की आराजी भू क्शा में तरमीमशुदा है व जमाबंदी में सभी खसरान् का कुल रकबा अंकित है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने-अपने हक हिस्से के कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण की आराजी के खसरा नम्बर 58 रकबा 11-07 बीघा व अप्रार्थीगण की आराजी के खसरा नम्बर 60 रकबा 4-14 बीघा की सीमा परस्पर मिलने से खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादों का समाधान मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है, ताकि काश्तकारों के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो।

अतः हम हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 58 रकबा 11-07 बीघा का मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा के मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण खातेदारान के मध्य सीमाज्ञान करवाया जाकर प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न अधिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 16:11:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण र्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होने एवं रवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं सरहद मौजा खिनावड़ी, पटवार हल्का फूलमाल, तहसील जैतारण में स्थित प्रार्थीगण खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा संख्या 58 रकबा 11–07 बीघा किस्म ही प्रथम का राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित क्रेया का अनुपालन करते हुए जमाबंदी एवं भू नक्शे के मुताबिक मौके पर नाप चौप र सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे खर्चे से उक्त खसरा ख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक अधिरोपित करावें। उभय पक्षकारान को बंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। यदि मौके पर तेदारान् के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से लिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जावे। तहसीलदार, जैतारण पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम कर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

मेरे द्वारा आज दिनाँक 28/03/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.12 15:11:13 IST
Reason: SelfAttested